>

Title: Need to release pending instalment of funds for various water-schemes in Ajmer Parliamentary Constituency- Laid.

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र अजमेर जिले में ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जलग्रहण योजनाओं तथा डीडीएपी, डीडीपी, आईडब्ल्यूडीपी आदि के अंतर्गत विभिन्न बैचों की बकाया किश्तें नहीं भेजे जाने के कारण योजनाओं की प्रगति पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। डीपीएपी-बैच 7, 8 और 10 (हरियाली11) की क्रमशः पंचम किस्त और तृतीय किस्त तथा डीपीए बैच-7 की 5वीं, 6वीं तथा 7वीं किस्तें तथा डीडीपी बैच-8 की भी 5वीं, 6वीं और 7वीं किस्तें तथा डीडीपी-11 (हरियाली-11) की द्वितीय किस्त तथा आईडब्ल्यूडीपी सापली (अराई ब्लाक) की चौथी किस्त बकाया है। कई बार डीआरओ, अजमेर द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से भारत सरकार को लिख् जाने तथा मेरे द्वारा लिखित में अनुरोध करने पर भी ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार द्वारा इन किस्तों की राशियां प्रेषित नहीं की गई। परिणामस्वरूप योजनाओं में वास्तविक व्यय प्रगति नहीं आ पा रही है। 2007-2008 द्वारा निर्धारित व्यवस्थानुसार कार्य संपन्न नहीं हो पा रहा है तथा प्रस्तावित किस्तों की राशि प्राप्त न होने पर आगामी किस्तों का प्रस्ताव भी भारत सरकार को नहीं भेजा जा सकता। किस्तों के अभाव में मजदूरों की मजदूरी का भुगतान भी कई महीनों से बकाया चल रहा है। मेरी अध्यक्षता में होने वाली सतर्कता समिति की त्रैमासिक बैठकों में भी यह प्रकरण उठाया जा चुका है। अतः भारत सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त डीपीएपी, डीडीपी तथा आईडब्ल्यूडीपी के किस्तों की बकाया राशि का अविलंब भुगतान कराए जाने के आदेश प्रदान करावें, जिससे अजमेर जिले में ग्रामीण विकास की गाड़ी आगे गति पकड़ सके।